

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

कमांक:- प. 2(6)कार्मिक/क-2/84

जयपुर, दिनांक: 29.1.09

शुद्धि पत्र

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.08 द्वारा राज. शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में किये गये संशोधन के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियां की जावेगी:-

- (1) कम सं. 3 शीर्षक "नये नियम 19-क, का अतःस्थापन.- के अन्तर्गत जोड़ा गया नियम "19-क, चयन की प्रक्रिया-की अन्तिम पंक्तियां "अनुसूची के स्तम्भ सं. 7 में उल्लिखित अन्य पद आयोग या, यथास्थिति, समिति द्वारा साक्षात्कार से भरे जायेंगे।" के स्थान पर "अन्य पद आयोग या, यथास्थिति, अनुसूची के स्तम्भ सं. 7 में उल्लिखित समिति द्वारा साक्षात्कार से भरे जायेंगे।" पढ़ा जावे।
- (2) कम सं. 5 शीर्षक "अनुसूची का संशोधन" के अन्तर्गत उप नियम (1) में आया शब्द "अनुभाग-1" के स्थान पर "अनुसूची-1" पढ़ा जावे।

आदेश से,

(बी0 के0 दोसी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को दिनांक 29.1.09 के शुद्धि पत्र को संलग्न कर लेख है कि कृपया उपरोक्त शुद्धि पत्र को राजस्थान राज्य पत्र भाग-4(ग) एस.आर. के आगामी अंक में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें तथा संबंधित राजपत्र की 3 प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय को मंत्रीमण्डल की आज्ञा सं. 84/2008 दिनांक 3.7.08 एवं ज्ञापन सं. प. 17(7)शिक्षा/गुप-2/2002 दिनांक 28.6.08 के संदर्भ में।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग/शिक्षा (गुप-2) विभाग ।
4. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार(प्रारूपण)
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा(अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
- 3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 4- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
- 5- सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
- 7- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
- 5- अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
- 6- गार्ड फाईल

शासन उप सचिव

2/2009